राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5296/2021

संतोष कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, आवश्यक एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, आरपीटीसी, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2021
आदेश की दिनांक : 13.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जगमोहन भारद्वाज, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा एएसआई की पदोन्नति का परिणाम पीसीसी हेतु रोका गया है, को घोषित किया जाए तथा अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वर्ष 1993 में हुई थी और आदेश दिनांक 03.09.2016 को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर नियम 28ए के अंतर्गत गैलेण्ट्री आउट ऑफ टर्न द्वारा विशेष पदोन्नति हेतु उसके नाम पर अभिशंषा की गई तथा एएसआई की पदोन्नति आदेश

दिनांक 04.06.2021 रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध दी गई। पीसीसी पूर्ण होने के उपरांत आदेश दिनांक 28.07.2021 के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया। परंतु आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी के पीसीसी का परिणाम रोक दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। तदुपरान्त अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त हुई कि उसका परिणाम पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बंद लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी ने पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा, परंतु प्रत्यर्थी विभाग उसके परिणाम को घोषित नहीं कर रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा रिट अपील संख्या 7917/2022 उमेश प्रताप सिंह बनाम अतिरिक्त पुलिस राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 की और ध्यान आकर्षित किया। जिसमें प्रार्थी के विरूद्व एफआईआर दर्ज होने एवं मामला न्यायालय में लम्बित होने के बावजूद उसके पदोन्नति परीक्षा परिणाम को सील बंद लिफाफे में रोके नहीं जाने का आदेश दिया। अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है। अतः अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा एएसआई की पदोन्नति का परिणाम पीसीसी हेतु रोका गया है, को घोषित किया जाए तथा अपीलार्थी को एएसआई के पद पर पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का पीसीसी परिणाम आदेश दिनांक 27.07.2021 के द्वारा रोका गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध थाना रूपवास, जिला भरतपुर में आईपीसी एवं एससी, एसटी एक्ट के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा 304/2009 दर्ज है, जिसके कारण उसका परिणाम रोका गया है। अपीलार्थी अपील प्राधिकरण एवं विभाग के समक्ष सभी तथ्यों से परिचित होते हुए भी प्रकट नहीं कर रहा है। विभाग को सूचना प्राप्त होते ही उसका पीसीसी परिणाम सीलबंद करने का आदेश दिया गया। आदेश दिनांक 19.05.2021 के द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि गैलेण्ट्री प्रमोशन के मामलों में संपूर्ण तथ्यों को रिवार्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी की मुकदमा नं. 304/2009 में लिप्तता पाई गई है और उक्त मुकदमें में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अपीलार्थी का उक्त कृत्य सिविल सेवा नियमों के तहत गंभीर अनुशासहीनता है। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में अन्वीक्षा में चल रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वर्ष 1993 में हुई थी और आदेश दिनांक 03.09.2016 को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर नियम 28ए के अंतर्गत गैलेण्ट्री आउट ऑफ टर्न द्वारा विशेष पदोन्नति के तहत एएसआई की पदोन्नति आदेश दिनांक 04.06.2021 रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध दी गई। परंतु आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी के पीसीसी का परिणाम रोक दिया गया। जहां तक अपीलार्थी के पीसीसी का परिणाम बंद लिफाफे में रखना एवं उस परिणाम को घोषित नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.07.2021 पुलिस अधीक्षक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी, के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 304/2009 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3–2(बी) एससी/एसटी एक्ट थाना रूपवास में मुकदमा दर्ज है और पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 19.05.2021 के बिंदु संख्या 6 के क्रम में अपीलार्थी के पीसीसी का परिणाम सीलंबद लिफाफे में रखा गया है। परिपत्र दिनांक 19.05.2021 के बिंदु संख्या 6 में यह स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि *''यदि कोई मामला उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो रिवार्ड कमेटी उस पर विचार कर प्रस्ताव को माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखेगी।''* इसका आशय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने के उपरान्त प्रकरण उच्चतर न्यायालय में लम्बित होने पर प्रकरण को न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्य्यधीन रखा जावेगा। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी घोषित करते हुए सजा दी गई हो। इस प्रकार हमारे मत में ऐसे मामलों में किसी कार्मिक का परिणाम/पदोन्नति परिणाम में सील बंद लिफाफे में रोककर रखा जाना न्याय सम्मत नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के नियम 28A में किए गये गेलेन्ट्री पदोन्नति के सम्बन्ध में भी कोई पुर्नविचार करना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण वर्ष 2009 में दर्ज हुआ है एवं उसके पश्चात् वर्ष 2016 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति होना प्रतिवेदित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अन्य अपेक्षित कार्यवाहियां करने के बजाय अपीलार्थी के PCC का परिणाम रोकने की कार्यवाही करना न्याय संगत नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट अपील

संख्या 7917/2022 उमेश प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 में नीरज कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में रिट अपील संख्या 8151/2022 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

> *"17. Having heard the learned counsel for petitioner, the learned standing counsel for State-respondents and upon perusal of record, the Court finds that it is an undisputed fact that irrespective of pendency of criminal csae, petitioner has been allowed to continue. Therefore, mere pendency odf a criminal case, prima-facie, cannot be taken as a ground to deny promotion of petitioner. the Competent Authority cannot withhold the claim of petitioner indefinitely on the ground of having adopted Sealed Cover Porcedure, due to the pendency of criminal case.*
>
> *18. In view of the discussion made above this writ petition is disposed of fainally with a direction to the Competent Authority to consider the claim of petitioner for opening the Sealed Cover within a period of two months from the date of production of a cerftified copy of this order in the light of obsevations made herein-above."*

उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि उक्त न्यायिक दृष्टा्तों को ध्यान में रखते हुए सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति का पीसीसी परिणाम जो आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा सील बंद लिफाफे में रखा गया है उसे घोषित किया जाये और यदि अपीलार्थी उक्त परिणाम में सफल पाया जाता है तो उसे पदोन्नति प्रदान करते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य